बलवीर सिंह आदि बनाम इशरराम आदि

किस्म मुकदमा 111,128 LRA नं 23 सन् 2025

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 05-05-25 | प्रार्थी की ओर से प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 111/128 LRA का पेश करने पर पत्रावली मुरत्तिब हुई। प्रार्थना-पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर हो। अधिवक्ता प्रार्थी अप्रार्थीगण की तलबी जरिये रजि. डाक करवाये। मिसल वास्ते इन्तजार तलबी दिनांक 12.06.25 को पेश हो। [illegible] | |
| 12-06-25 | पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी उप। प्रतिवादीगण के सम्मन की रसीद व डिलीवरी रिपोर्ट पेश की। प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता विकास [illegible] ने वकालतनामा पेश किया। मिसल वास्ते इन्तजार तलबी दिनांक 27-06-2025 को पेश हो। [illegible] | [illegible] |
| 24-06-25 | गांव बीनासर के पंडित दीन दयाल 'अन्त्योदय' सम्बल पखवाड़ा होने से जरिये अधिवक्ता [illegible] जरिये इत्तला प्रार्थी व अप्रार्थी सूचित कर कैम्प में उपस्थित होने हेतु सूचित कर पत्रावली को आज दिनांक 24.06.2025 को पेश हुई। अधिवक्ता अप्रार्थी की ओर से जाहिर [illegible] किया गया कि अप्रार्थीगण [illegible] उपस्थित रहने में [illegible] | [illegible] |

Signature Not Verified
Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:32:06 IST
Reason: SelfAttested

पत्थरगढी करवाये जाने के अप्रार्थीगण
को कोई आपत्ति नही है। ग्राम के
मौजिज व्यक्तियो ने उपस्थित होकर
जिन्होने कहा कि प्रार्थी की मौके पर भूमि
कम है अतः पत्थरगढी किया जाना
उचित तथा ग्रामीणो ने अपने हस्ताक्षर
किये। जिस पर पत्रावली का अवलोकन
किया गया। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र मे
खसरा नम्बर 145 रोही ग्राम बीनासर
के पत्थरगढी किये जाने हेतु निवेदन
किया है तथा जमाबन्दी राजस्व रिकार्ड
के अनुसार प्रार्थीगण बादगत कृषि भूमि
रोही ग्राम बीनासर खेत खसरा नम्बर
145 के खातेदार काश्तकार है। रिपोर्ट
पटवारी पटवार मण्डल बीनासर के
अनुसार प्रार्थीगण की भूमि मौके पर
राजस्व रिकार्ड से कम है। राजस्व
रिकार्ड मे भूमि कम होने से प्रार्थीगण
की सीमा को लेकर अप्रार्थीगण के
साथ विवाद होने की संभावना बनी
रहती है तथा पत्थरगढी जैसी कार्य
वाही से किसी भी काश्तकार के हितो
पर कोई विपरीत प्रभाव पड़ने की
कोई संभावना नहीं है तथा प्रार्थी
को अपनी भूमि की सीमा का ज्ञान
होगा तथा ... ... ...
पड़ौसी खातेदारो ... ... होकर
अशान्ति फैलने की संभावना नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:32:06 IST
Reason: SelfAttested

उपर्युक्त विवेचन से प्रार्थी की प्रार्थना-
पत्र स्वीकार किया जाना उचित है।
उपर्युक्त विवेचन के आधार पर
प्रार्थीगण का प्रार्थना-पत्र स्वीकार
किया जाना उचित है अतः प्रार्थना-
पत्र स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त
कृषि भूमि खेत खसरा नम्बर
145 रोही ग्राम बीनासर के ग्राम-
पास के काश्तकारों को सूचित कर
उनकी उपस्थिति मे सीमाज्ञान करवाना
प्रार्थी से नियमानुसार शुल्क प्राप्त
करें। तथा तहसीलदार, ग्रा० भू० अ०
नि. पटवारी की टीम गठित की
जाकर मौका पर्चा बनाया जाकर
पंचनामा मौके पर ही तैयार करे।
सीमांकन एवं पत्थर गढी की समस्त
कार्यवाही का विवरणात्मक पंचनामा एवं
मानचित्र सहित रिपोर्ट तैयार करे। सीमांकन
एवं पत्थर गढी मे होने वाला समस्त
व्यय प्रार्थीगण स्वयं वहन करेंगे।
अधीनस्थ तहसीलदार को इस आदेश
की प्रति सं. 10 (तहसीलदार) को इस आदेश
के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश
दिए जाते है कि वे निर्धारित समयावधि
में उक्त कार्यवाही पूर्ण करवाकर रिपोर्ट प्रस्तुत
करें।

आदेश आज दिनांक ... को पठित
... व सुनाया
श्रीन दयाल उपस्थित ... मे सुनाया
कैम्प बीनासर मे मजमे आम ... नम्बर
गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर
से कम हो। बाद तामील दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:32:06 IST
Reason: SelfAttested